This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 25 अक्तूबर, 2017 / 3 कार्तिक, 1939

हिमाचल प्रदेश सरकार

AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th October, 2017

No. Agr-A(4)-112006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Dr. Subhash Chand Manglate from the Office of Chairman of the H. P. State Agricultural Marketing Board with immediate effect.

The Vice-Chairman, H. P. State Agricultural Marketing Board would discharge the function of Chairman, H. P. State Agricultural Marketing Board as per provision of Section-5(3) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 till further orders.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 21st October, 2017

No. Agr-A(4)-1/2006.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Shri Neeraj Nayar, from the office of chairman of the Agriculture produce Marketing committee, Chamba as per provision of Section-36 (i) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 with immediate effect.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

AGRICULTURE DEPARTMENT
(Section-B)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd October, 2017

No. Agr-F(8)-5/2012.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to accept the resignation of Shri Prem Kaushal, from the Office of Chairman of the Agricultural Produce Market Committee, Hamirpur as per provision of Section-36(1) of the Himachal Pradesh Agricultural and Horticulture Produce Marketing (Development and Regulation) Act, 2005 with immediate effect.

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

''कोई भी मतदाता न छुटे''

निर्वाचन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार
38–एस.डी.ए. कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी, शिमला–171009

संख्या 3–18 / 2016–ई0एल0एन0– दिनांक : 18 अक्तूबर, 2017

अधिसूचना

संख्या 3–18 / 2016–ई.एल.एन.–भारत निर्वाचन आयोग के आदेश संख्या 100 / हि0प्र0 / – लो0स0 / 1 / 2013, दिनांक 6 अक्तूबर, 2017 तदानुसार 14 आश्विन, 1939 (शक) जो कि हिमाचल प्रदेश में लोक सभा के उप–निर्वाचन–2013 के लिए 2–मण्डी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल करने में असफल होने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में श्री लवन कुमार को तीन वर्ष तक संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए आयोग द्वारा घोषित निरर्हता की कालावधि को 5–10–2017 तक कम करने के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,
पुष्पेन्द्र राजपूत,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.100/हि.प्र-लो.स./1/2013 **दिनांक : 06 अक्तूबर**, 2017

आदेश

100/हि.प्र.लो.स/1/2013: **श्री लवण कुमार (इसमें इसके बाद "आवेदक" के रूप में संदर्भित) ने 2-मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से हिमाचल प्रदेश लोक सभा के उप-निर्वाचन**, 2013 **में निर्वाचन लड़ा था जिसके परिणाम की घोषणा दिनांक 27.06.2013 को की गई थी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम**, 1951 (**इसमें इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 78 के अनुसार उनसे यह अपेक्षा थी कि उनके द्वारा अनुरक्षित निर्वाचन व्यय के लेखे की सत्यप्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी), मंडी के समक्ष, उक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के अंदर दाखिल कर दी जाए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 77 के अधीन अपेक्षित है। इस प्रकार से, आवेदक के लिए यह अपेक्षित था कि वह डीईओ, मण्डी के समक्ष दिनांक 30.07.2013 तक अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जमा करें।**

आवदेक, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (इसके बाद "1961 नियम" के रूप में संदर्भित) के नियम 89 के अधीन जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) के समक्ष उक्त अधिनियम की धारा 78 के अधीन यथा निर्धारित विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहा है जैसा कि जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी) मण्डी ने दिनांक 5.08.2013 की अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है जो आयोग में 05.09.2013 को प्राप्त हुई थी।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आवेदक को दिनांक 19.02.2104 को नियम, 1961 के उपनियम (5) के अधीन एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे इस संबंध में कारण बताने को कहा गया था कि क्यों न उसे उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन निरर्हित घोषित कर दिया जाए तथा साथ ही इस नोटिस की प्राप्ति के 20 दिनों के अंदर निर्धारित तरीके से अपने लेखे दाखिल करने की उनसे अपेक्षा की गई थी तथा नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसा न करने पर वे तीन वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचन लड़ने से निरर्हित कर दिए जाएंगे। उक्त नोटिस आवेदक को 03 मार्च, 2014 को डेलीवर कर दिया गया था।

जिला निर्वाचन अधिकारी (डीसी), मण्डी ने दिनांक 29.09.2014 के अपने पत्र संख्या ईएलएन-एमएनडी-एफ(i)-23/2012/7405-06 के द्वारा सूचित किया कि आवदेक ने रिपोर्ट की तारीख तक विधि द्वारा अपेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल नहीं किया था। अत:, आयोग ने दिनांक 08.06.15 के अपने आदेश संख्या 100/हि.प्र-लो.स/1/2013 के द्वारा आवेदक को उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश द्वारा यथापेक्षित रीति से निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर, धारा 10क के अधीन संसद के दोनों सदनों/राज्य विधान मंडलों का निर्वाचन लड़ने से आवदेक को निरर्हित घोषित कर दिया। आवदेक इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित हो गए।

आवेदक ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन दिनांक 01.03.2017 को एक आवेदन प्रस्तुत किया जो आयोग में 17.03.2017 को प्राप्त किया गया और उसने उसमें बताए गए कारणों के लिए निरर्हता हटाने हेतु अनुरोध किया। अपील में आवेदक ने निम्नलिखित निवेदन किया है:-

i. **उसकी अनुपस्थिति में छापे के दौरान रजिस्टर को या तो पुलिस द्वारा उठा लिया गया है या वह खो गया है।**

ii. **रजिस्टर को न देकर कुछ छुपाया नहीं गया है और यह किसी प्रकार से आवेदक को लाभ नहीं पहुंचाएगा।**

iii. **समस्त निर्वाचन व्यय का कुल योग 5,20,000/-रू है।**

आयोग ने दिनांक 11.05.2017 के अपने पत्र द्वारा आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया ताकि वह अपना मामला प्रस्तुत कर सके।

आवेदक दिनांक 29.06.2017 को अधोहस्ताक्षरी, जोकि अधिनियम की धारा 19क के अधीन आयोग द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रत्योजित शक्तियों के कारण इस मामले में आवेदन पर विचार करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं, के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

जोकि अधिनियम की धारा 19क के अधीन आयोग द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रत्योजित शक्तियों के कारण इस मामले में आवेदन पर विचार करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं, के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

व्यक्तिगत सुनवाई में, आवेदक ने अपने आवेदन में किए गए निवेदनों को दोहराया। मुख्य निवेदन निम्नलिखित थे:-

i. **आवेदक को गलत तरीके से निर्हरित किया गया था।**

ii. **निर्वाचन वय़य के लेखा के रिकॉर्ड को आरओ के समक्ष प्रसतुत किया गया था।**

iii. **दिनांक 14.06.2013 को सीआईडी पुलिस के छापे में निर्वाचन व्यय का लेखा रजिस्टर कहीं खो गया था और इसकी सूचना दिनांक 19.06.2013 को आरओ को दे दी गई थी।**

iv. **रजिस्टर को न देकर कुछ छुपाया नहीं गया है और यह किसी भी प्रकार से आवेदक को लाभ नहीं पहुंचाएगा।**

v. **आवेदक ने कुछ प्रक्रियात्मक चूक के कारण निरर्हता के दो वर्ष की अवधि पहले ही पूरी कर ली है जिसके लिए आवेदक पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं था।**

दिनांक 29.06.2017 को आयोग में प्राप्त दिनांक 29.06.2017 के अपने अभ्यावेदन में आवेदक द्वारा उठाए गए बिन्दुओं और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा किए गए मौखिक निवेदनों पर मैंने विधिवत विचार किया है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि उसने दिनांक 19.02.2014 के आयोग के नोटिस का विधिवत रूप से उत्तर दे दिया था। इसके अतिरिक्तए आवेदक ने निवेदन किया कि दिनांक 14.06.2013 को उसके कार्यालय परिसर में उसकी अनुपस्थिति में मारे गए छापे के दौरान या तो पुलिस द्वारा संदर्भाधीन

रजिस्टर ले लिया गया था या छापे के दौरान वह कहीं खो गया था, क्योंकि पुलिस छापे के दौरान वहां बहुत भीड़ थी। यह छापा सीजेएम, मण्डी द्वारा जारी किए गए सर्च वारंट के कार्यान्वयन से संबंधित था जो भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 465,469,471 के अधीन दिनांक 14.06.2013 की एफआईआर सं. 12/2013, स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम की धारा 6 तथा आईटी अधिनियम की 66(ड), 67(क) के अन्तर्गत था। उसने बताया कि उसने रिटर्निंग ऑफिसर को इस तथ्य के बारे में सूचित कर दिया था कि रजिस्टर दिनांक 19.06.2013 को नहीं मिल पाया था और उसने नए सिरे से निवेदन किया कि उसे एक नया रजिस्टर जारी कर दिया जाए ताकि वह अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल कर सकें। यद्यपि, आवेदक के अनुसार, डीसी मण्डी ने कोई उत्तर नहीं दिया और नए रजिस्टरों को देने में उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की कि व्यय प्रेक्षक, जिन्हें रजिस्टर हस्ताक्षरित करना था, वह पहले ही निर्वाचन-क्षेत्र छोड़ चुके थे। आवेदक ने यह भी उल्लेख किया है कि उसने दिनांक 30 जुलाई, 2013 को अपना लेखा दाखिल कर दिया था। नियम 90 के अधीन कुल व्यय निर्धारित सीमा के भीतर पाया गया है।

इस मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की समग्रता तथा आवेदक के निवेदनों को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह सुविचारित मत है कि न्याय का ध्येय पूरा हो जाएगा यदि निरर्हता की अवधि कम करके वह अवधि कर दी जाए जो उसने पहले ही पूरी कर ली है।

अत:, अब, इस संबंध में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 11 के अधीन, अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा आदेश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 10क के अधीन दिनांक 08.06.2015 को आवेदक पर अधिरोपित की गई निरर्हता की अवधि कम करके 5 अक्तूबर, 2017 को शामिल करते हुए इस तरीख तक की अवधि के लिए कर दी जाए और शेष अवधि के लिए निरर्हता हट जाएगी।

आदेश से,

संदीप सक्सेना
उप निर्वाचन आयुक्त
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 100/HP-HP/1/2013 Dated: 6th October, 2017

ORDER

100/HP - HP/1/2013: Sh. Lawan Kumar (hereinafter referred to as the "Applicant") contested the Bye-election to the Lok Sabha of Himachal Pradesh, 2013 from 2-Mandi Parliamentary Constituency, result whereof was declared on 27.06.2013. As per Section 78 of the Representation of People Act, 1951 (hereinafter referred to as the "Act"), he was required to file true copy of the account of his election expenses maintained as required under Section 77 thereof, before the District Election Officer(DC), Mandi, within thirty days from the date of election of the returned candidate for the said constituency. Thus the applicant was required to submit a/c of election expenses before the DEO, Mandi by 30.7.2013.

The Applicant failed to file his account of election expenses in the manner required by law as stipulated under the said Section 78 of the Act, before the District Election Officer(DC), Mandi as reported by the District Election Officer(DC), Mandi vide his Report dated 5.8.2013 received in the Commission on 5.9.2013 under Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961(hereinafter referred to as "1961 Rules").

A Notice dated 19.02.2014 was issued to the Applicant by the Election Commission of India, under sub-rule (5) of Rule 89 of the 1961 Rules, asking him to show cause as to why he should not be disqualified under section 10A of the Act and also requiring him to submit his accounts in the prescribed manner within 20 days of the receipt of notice, failing which it was made clear in the notice that he would be disqualified from contesting elections for a period of three years. The said notice was delivered to the Applicant on 3rd March, 2014.

The District Election Officer(DC), Mandi intimated vide his letter No. ELN-MND-F(1)-23/2012/7405 – 06, dated 24.09.2014, that the Applicant had not filed his account of election expenses in the manner required by law upto the date of report. Therefore, the Commission, vide its Order No. 100/HP – HP/1/2013, dated 08.06 2015, disqualified the Applicant from contesting election to the Houses of the Parliament/State Legislatures under section 10A of the Act for failure to lodge his account of election expenses in the manner as required by the said Act and the Rule and Order made thereunder. The Applicant stood disqualified for a period of 3 years from the date of the order.

The Applicant has preferred an application dated 1.3.2017 received in the Commission on 17.3.2017 under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951 for the removal of the disqualification for the reasons stated therein. In the Appeal, the Applicant made the following submissions;

(i) The register had been either taken by the police or misplaced during police raid in his absence.

(ii) There is nothing to hide by not supplying the register and this in any manner will not benefit the applicant.

(iii) The grant total of all election expenses is Rs.5,20.000/-

The Commission afforded the Applicant an opportunity of being heard in person and present his case vide its letter dated 11.5.2017.

The Applicant appeared on 29.6.2017, before the undersigned, who is the Competent Authority to consider the Application in the case, by virtue of the powers delegated to the undersigned by the Commission under section 19A of the Act.

In the personal hearing, the Applicant reiterated the submissions made in the Application. The main submissions were the following:—

i. The Applicant wrongly disqualified.

ii. The records of account of election expenses submitted before the RO.

iii. The register of account of election expenses misplaced during the CID Police raids on 14.6.2013 and this was brought to the notice of the RO on 19.6.2013.

iv. There is nothing to hide by not supplying the register and this in any manner will not benefit the applicant.

v. The Applicant has already been undergone a period of two years of disqualification for some procedural lapse for which the Applicant was not wholly responsible.

I have duly considered the oral submissions, made by the Applicant during the personal hearing and the points raised by him in his representation dated 29.6.2017 received in the Commission on 29.6.2017. The Applicant submitted that he had duly replied to the Commission's notice dated 19.02.2014. Applicant further submitted that the register under reference was either taken by the police during their raid conducted in his absence on his office premises on 14.06.2013 or has been misplaced during the raid, as a huge gathering was there during the raid. The raid was in connection with the execution of search warrant issued by the CJM, Mandi in case FIR

No.12/2013 dated 14.6.2013 u/s 292,465, 469, 471 of IPC, Section 6 of Indecent Representation of Women (Prohibition) Act and 66(E), 67(A) of IT Act. He stated that he had informed the Returning Officer about the fact that registers could not be located on 19.06.2013 and made a fresh request that fresh registers be issued so that he could lodge his account of election expenses. However, as per the Applicant, DC, Mandi, did not respond and expressed his inability to give fresh registers on the ground that Expenditure Observer, who was supposed to sign the registers had already left the constituency. The Applicant has also stated that he lodged his account on 30th July, 2013.The total expenditure is seen to be well within the ceiling prescribed under Rule 90.

Having considered the submissions of the Applicant and the totality of the facts and circumstances of the case, I am of the considered view that, the ends of justice will be met if the disqualification period is reduced to the period already undergone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers delegated in this regard by the Election Commission, the undersigned hereby orders, under Section 11 of the Representation of the People Act, 1951, that the disqualification imposed on 8.6.2015, under Section 10A of the said Act, on the Applicant be reduced to the period up to and including 5th October, 2017, and the disqualification for the remaining period shall stand removed.

By order

SANDEEP SAXENA,
DEPUTY ELECTION COMMISSIONER,
ELECTION COMMISSION OF INDIA.

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः :एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)37 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1.	8 / 2003	बुड़च	बुड़च	1, 2, 3, 4, 5, 7 8 / 1, 89 / 1 किता – 8	24–28–55	उत्तरः भामुवि दक्षिणः आरवा पूर्वः आरवा पश्चिमः रानवी	बम्टा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-37/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-37/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Up Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries Muhal/Up Muhal	Forest Range	Forest Division	Distt.
1	8/2003	Budach	Budach	1, 2, 3, 4, 5, 8/1, 89/1. Kitta - 8.	24-28-55	North: Bhamuvi South: Aarva East: Aarva West: Ranvi	Bamta	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)38 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला

1	9 / 2004	धवान्दली–द्वितीय	धवान्दली	123 / 1, 124 / 1, 148 / 1, 149 / 1, 153 / 1 किता–5	5–83–27	उत्तरः चिला दक्षिण धवान्दली पूर्वः धवान्दली पश्चिमः अम्बराल	बम्टा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-38/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No. FFE-B-F(14)-38/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	9/2004	Dhawandli-II	Dhawandli	123/1, 124/1, 148/1, 149/1, 153/1. Kitta – 5.	5-83-27	North: Chilla South: Dhawandli East: Dhawandli West: Ambral	Bamta	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला––2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)39 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	1 / 2005	जमन–द्वितीय	घिलड़	91 / 1, 135 / 1, 138 / 1, 155 / 1, 237 / 1, 243 250 / 1, 320 / 1, 321 / 1 किता – 9	22–08–17	उत्तरः हुड दक्षिणः तरशाणू पूर्वः घिलड़ पश्चिमः वावी	बम्टा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-39/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-39/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	1/2005	Jaman-II	Ghilar	91/1, 135/1, 138/1, 155/1, 237/1, 243, 250/1, 320/1, 321/1. Kitta – 9.	22-08-17	North: Hud South: Tarshanu East:Ghilar West: Vavee	Bamta	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)40 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित उपमुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	7 / 2005	जामन–तृतीय	वावी	30 / 1, 63 / 1, 64 / 1, 79 / 1,154 / 1, 189 / 1, 292 / 1, 297 / 1, 300 / 1, 313 / 1, 354 / 1 किता 11	97–98–96	उत्तरः बेरग दक्षिणः घिलड़ पूर्वः हुड पश्चिमः तरशाणू	बम्टा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-40/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No. FFE-B-F(14)-40/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name o Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	7/2005	Jaman-III	Up Muhal Vavee	30/1, 63/1, 64/1, 79/1, 154/1, 189/1, 292/1, 297/1, 300/1, 313/1, 354/1. Kitta- 11.	97-98-96	North: Berag South: Ghilar East:Hud West: Tarshanu	Bamta	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 17 अगस्त, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)41 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला

1	2 / 2001	केदी–प्रथम	केदी क्यारला	309 / 1, 317 / 1, 318 / 1, 320 / 1, 331मिन, 351 / 1, 352 / 1, 352 / 3, 353 / 1 355, 356 / 1, 363 / 1, 377, 378 / 1, 379 / 1, 382 / 1, 404 / 1, 407 / 1, 411 / 1, 414 / 1, 434 / 1, 436 / 1 1 / 1, 2 / 1, 8 / 1, 10, 15 / 1, 16 / 1, 16 / 6, 19 / 1, 21, 22 / 1, 32, 42 / 1, 43 / 1, 44 / 1, 45 / 1, 49 / 1, 50,54, 70 / 1, 346 / 1, 349, 428 / 1, 430 / 1, 430 / 1, 436 / 1, 473 / 1, 479 / 1, 600 / 1, 601 / 1, 602, 603 / 1, 615 / 1, 618 / 1, 619 / 1 किता– 56	42–05–45	उत्तरः क्यारला दक्षिणः क्यारला व केदी पूर्वः क्यारला पश्चिमः केदी	नेरूवा	चौपाल	शिमल

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-41/2013, dated 17th August, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 17th August, 2017

No. FFE-B-F(14)-41/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	2/200	Kedi-I	Up Muhal Kedi Kayarla	309/1, 317/1, 318/1, 320/1, 331 Min, 351/1, 352/1, 352/3, 353/1 355, 356/1, 363/1, 377, 378/1, 379/1, 382/1, 404/1, 407/1, 411/1, 414/1, 434/1, 436/1 1/1, 2/1, 8/1, 10, 15/1, 16/1, 16/6, 19/1, 21,22/1, 32, 42/1, 43/1,44/1, 45/1, 49/1, 50, 54,70/1, 346/1, 349, 428/1,430/1, 430/1, 436/1,473/1, 479/1, 600/1, 601/1, 602, 603/1, 615/1, 618/1, 619/1. **Kitta 56**	42-05-45	North- Kayarla South- Kayarla & Kedi East- Kayarla West- Kedi	Nerwa	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)42 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	4 / 2001	रेवशटी	रेवशटी	1 / 1, 83 / 1, 88 / 1, 91 / 1, 93 / 1, 111, 112 / 1, 121 / 1, 130 / 1, 132, 134 / 1, 145 / 1, 173 / 1, 177 / 1, 177 / 5 किता 15	35–51–81	उत्तरः: डी.पी. एफ.झालड़ी दक्षिणः डी.पी. एफ. खनाद पूर्वः खनाद पश्चिमः रेवशटी	नेरूवा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-42/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla -2, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-42/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	4/2001	Rewashti	Rewashti	1/1, 83/1, 88/1, 91/1, 93/1, 111, 112/1, 121/1, 130/1, 132, 134/1, 145/1, 173/1, 177/1, 177/5 . Kitta 15	35-51-81	North: DPF Jhaladi South: DPF Khanad East: Khanad West: Rewashti	Nerwa	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)43 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला

1	9 / 2001	भरटों	भरटों	68 / 1, 68 / 10, 68 / 1 / 1, 76 / 1, 78 / 1, 79 / 1, 94 / 1, 128 / 1, 270 / 1, 316 / 1, 490 / 1, 496 / 1 किता 12	88–44–64	उत्तरः भरटों दक्षिणः भरटों पूर्वः बानी पुल व बिजमल पश्चिमः मिंयां चकी व बिजमल	नेरूवा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

————————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-43/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-43/2013.— Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District

		Forests							
1	9/2001	Bharton	Bharton	68/1, 68/10, 68/1/1, 76/1, 78/1, 79/1, 94/1, 128/1, 270/1, 316/1, 490/1, 496/1. Kitta – 12.	88-44-64	North: Bharton South: Bharton East: Bani Pul & Bijmal West: Miyan Chaki & Bijmal	Nerwa	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)44 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला

1	10 / 2001	कलारा–द्वितीय	थाचली	59 / 1 / 1, 60 / 1, 82 / 1, 88 / 1, 92 / 1, 236 / 1 किता 6	17–15–42	उत्तरः थाचली दक्षिणः डी.पी. एफ.दूदाकाहू पूर्वः ठेकरा पश्चिमः बांगणा	नेरूवा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. FFE-B-F(14)-44/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla the-2, the 25th July, 2017

No.FFE-B-F(14)-44/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District

1	10/2001	Kalara-II	Thachli	59/1/1, 60/1, 82/1, 88/1, 92/1, 236/1. Kitta – 6.	17-15-42	North: Thachli South: DPF Dudakahu East: Thekra West:Bagna	Nerwa	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला –2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)45 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	11 / 2001	बिजमल–तृतीय	बिजमल	16 / 1, 570 / 1, 572 / 1, 575 / 1, 576 किता – 5	22–73–72	उत्तरः किमा चन्द्रावली दक्षिणः बिजमल पूर्वः बिजमल पश्चिमःबिजमल	नेरूवा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,

तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-45/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No. FFE-B-F(14)-45/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/ Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	11/2001	Bijmal-III	Bijmal	16/1, 570/1, 572/1, 575/1, 576. Kitta- 5.	22-73-72	North: Kima-Chandrawali South: Bijmal East: Bijmal West: Bijmal	Nerwa	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

वन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 25 जुलाई, 2017

संख्याः एफ0एफ0ई0बी0एफ0(14)46 / 2013.––इस अधिसूचना में अन्तःस्थापित अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि / बंजर भूमि में या उस पर सरकार तथा प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों के स्वरूप और विस्तार की जांच कर ली गई है और उन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का अधिनियम संख्यांक 16) की धारा 29 की उपधारा (3) के अधीन यथा अपेक्षित अभिलिखित कर लिया है;

उक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि / बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है, या जिस पर सरकार के सांपतिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय–4 के उपबन्ध उक्त वन भूमि / बंजर भूमि को लागू होंगे और जो एतद्पश्चात् पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन ''**संरक्षित वन**'' कहलाएगी।

अनुसूची

क्रम संख्या	नस्ति संख्या	वन का नाम जिसे सीमांकित संरक्षित वन में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है	हदबस्त नम्बर सहित मुहाल का नाम	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में	मुख्य सीमाएं	वन परिक्षेत्र	वन मण्डल	जिला
1	12 / 2001	बिजमल–प्रथम	बानी पुल	28 / 1, 57, 69 / 1, 70, 71 किता – 5	176–93–08	उत्तरः खड दक्षिणः डी.पी.एफ. बिजमल द्वितीय पूर्वः डी.पी.एफ. बिजमल द्वितीय पश्चिमः भरटों	नेरूवा	चौपाल	शिमला

आदेश द्वारा,
तरूण कपूर,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)।

———————

[*Authoritative English Text of this Department Notification No.FFE-B-F(14)-46/2013, dated 25th July, 2017 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India*].

FORESTS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 25th July, 2017

No. FFE-B-F(14)-46/2013.—Whereas the nature and extent of the rights of the Government and of private persons in or over the Forest Land/Waste Land specified in the schedule inserted to this Notification have been enquired into and recorded as required under Sub-Section (3) of Section-29 of the Indian Forest Act, 1927 (Act No. 16 of 1927);

And whereas the Forest Land/ Waste Land shown in the said schedule is the property of the Government or over which the Government has proprietary rights or the Government is entitled to the whole or any part of the Forest Produce therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub- Section (1) of Section-29 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare that the provisions of Chapter-IV of the Act shall apply to the said Forest Land/ Waste Land and shall hereafter be called as "Protected Forests" under the provisions of Sub-Section (2) of Section-29 of the Act ibid.

SCHEDULE

Sr. No.	File No.	Name of Forest required to be converted into Demarcated Protected Forests	Name of Muhal with Hadbast No.	Khasra No.	Area in Hectare	Cardinal Boundaries	Forest Range	Forest Division	District
1	12/2001	Bijmal-I	Up Muhal Bani Pul	28/1, 57, 69/1, 70, 71. Kitta – 5.	176-93-08	North: Khad South: DPF Bijmal:II East: DPF Bijmal-II West:Bharton	Nerwa	Chopal	Shimla

By order,

TARUN KAPOOR,
Additional Chief Secretary (Forests).

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्री घिन्द्र सिंह पुत्र लच्छो, गांव अथेड, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. फरीकदोयम।

प्रार्थना–पत्र बावत नाम दरुस्ती जेर धारा 37(2) हि0 प्र0 भू–राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत करने बारे।

इश्तहार.–

प्रार्थी श्री घिन्द सिंह पुत्र लच्छो, गांव अथेड, परगना व उप–तहसील भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0) ने निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत गुवालू के परिवार रजिस्टर के रिकार्ड में मेरा नाम घिन्द्र सिंह दर्ज है जोकि सही व दरुस्त है लेकिन राजस्व रिकार्ड महाल मलूर के भू–इन्द्राज में मेरा नाम घिन्द्रो दर्ज है जोकि गलत दर्ज है इसलिए महाल मलूर के भू–राजस्व के इन्द्राज में मेरा नाम घिन्द्रो के बजाए घिन्द्रो उर्फ घिन्द्र सिंह दरुस्त करवाना चाहता हूं।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी उक्त के नाम दरुस्त करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 16–11–2017 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज लिखित रूप में पेश करें। अन्यथा प्रार्थी का नाम दरुस्त करने बारा आदेश पारित कर दिये जायेंगे। इसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 07–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
भलेई, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

श्रीमति Sonam Dolma बनाम आम जनता

विषय.––प्रार्थना–पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता

Sonam Dolma d/o श्री Tashi Tsering, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ–पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र नाम Jampa Tashi का जन्म दिनांक 5–03–1984 है परन्तु एम0 सी0 Dharmshala में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Jampa Tashi का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 26–10–2017 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ–पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 11–10–2017 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है